भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 460

05.02.2024 को उत्तर के लिए

वायु गुणवत्ता

460. श्री राजा अमरेश्वर नाईक :
श्री खगेन मुर्मु :
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी :
श्री रघु राम कृष्ण राजू :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध सहित जीआरएपी-IV जैसे कठोर प्रदूषण-रोधी उपाय लागू किए जाने के बावजूद, दिल्ली और अन्य शहरों की वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में राज्य-वार क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं/क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और इस हेतु आज तक कितनी धनराशि स्वीकृत/खर्च की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): मानसून के बाद और सर्दियों के महीनों के दौरान, कम तापमान, कम मिश्रण- ऊंचाई, प्रतिलोम स्थिति और शांत वायु के कारण वातावरण में प्रदूषक फंस जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप ऐसे क्षेत्र में प्रदूषण उच्च होता है। इसलिए, आमतौर पर सर्दियों के महीनों के दौरान दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 'वायु गुणवत्ता सूचकांक' में गिरावट देखी जाती है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) कोई नियमित उपाय नहीं है, बल्कि यह केवल एक आपातकालीन उपाय है और यह वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर कार्यों का एक विशिष्ट सामुचच्य प्रदान करता है, जिसे विशेष रूप से सर्दियों के दौरान प्रतिकूल वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, जहां अप्रभावी प्रसार और प्रतिकूल जलवायु/मौसम संबंधी स्थिति के कारण, आम तौर पर एक्यूआर के उच्च स्तर का सामना करना पड़ता है। जीआरएपी के तहत इस अवधि के दौरान अधिरोपित सख्त नियम और प्रतिबंध वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने में मदद करते हैं।

विभिन्न अन्य प्रतिबंधों में, अपने उच्च धूल धारण क्षमता के कारण, केवल जीआरएपी के चरण III और IV के दौरान (अर्थात् जब वायु गुणवत्ता "गंभीर (एक्यूआई>400)" और "गंभीर +" (एक्यूआर>450) तक पहुंच जाती है। पूरे एनसीआर निर्माण और विध्वंस क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाया जाना भी आता है। इन क्रियाकलापों में धूल पैदा करने वाली/प्रदूषण उत्पन्न करने वाली सभी गतिविधियां आती हैं।

इस तरह के प्रतिबंध मुख्य रूप से प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव और सभी हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रख कर से लगाए जाते हैं।

कोविड से प्रभावित बहुत कम गतिविधि वाले वर्ष 2020 को छोड़कर, वर्ष 2023 में दिल्ली में एक्यूआई सबसे अच्छा दैनिक औसत देखा गया, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है :

वर्ष	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
दैनिक औसत एक्यूआर	**225**	**215**	**185**	**209**	**209**	**204**

(ख): सरकार ने देश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को दीर्घकालिक, समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में वर्ष 2019 में सभी हितधारकों को शामिल करके देश भर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में वर्ष 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर 10 (पीएम10) की सांद्रता में 40% तक की कमी लाने या राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों की परिकल्पना की गई है ।

एनसीएपी के तहत लक्षित 131 शहरों के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्य-योजना, राज्य स्तरीय कार्य-योजना और शहर स्तरीय कार्ययोजना तैयार करने और कार्यान्वयन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस कार्य योजना में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं, गैर- मोटर चालित परिवहन अवसंरचना, ग्रीन बफर, फुटपाथ बनाने, मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर, कंपोस्टिंग इकाइयां आदि जैसे विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्तर की योजना में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कार्य योजनाएँ आती हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों/ कार्यक्रमों का अभिसरण , 7 संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त कार्य योजनाएं शामिल हैं। 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं और 131 शहरों में शहर स्तरीय कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं। इसके अलावा, वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए शहरों द्वारा वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार की जाती हैं ।

एनसीएपी के तहत, 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2025-26 तक पीएम10 के स्तर में 40% तक की कमी लाने या राष्ट्रीय मानक प्राप्त करने लिए वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने हेतु राज्य कार्य- योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 9934.40 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी।

वित्त वर्ष 19-20 से 23-24 (30 जनवरी, 2024 तक) के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य-वार जारी धनराशि और उपयोग का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इस वर्ष के लिए वायु गुणवत्ता प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। 90 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाई दिया है और 15 शहर वित्त वर्ष 2022-23 में पीएम10 सांद्रता के मामले में राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, 26 शहरों ने 30% से अधिक की कमी हासिल की है और 37 शहरों में वर्ष 2017-18 की आधार रेखा की तुलना में 10-30% के आस-पास कटौती दिखाई दी है।

उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध - I

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत/जारी की गई धनराशि	पीआरएएनए के अनुसार धनराशि का उपयोग
1	तमिलनाडु	502.43	475.87
2	गुजरात	808.00	734.15
3	पश्चिम बंगाल	816.76	695.92
4	तेलंगाना	463.54	390.60
5	हिमाचल प्रदेश	15.91	13.38
6	मध्य प्रदेश	630.51	526.26
7	राजस्थान	544.66	406.44
8	चंडीगढ़	32.81	24.34
9	उत्तर प्रदेश	1846.35	1182.66
10	ओडिशा	74.60	46.90
11	बिहार	326.74	182.10
12	पंजाब	261.69	138.35
13	झारखंड	279.44	147.42
14	महाराष्ट्र	1754.40	882.48
15	मेघालय	6.15	2.88
16	छत्तीसगढ़	248.39	96.26
17	असम	54.10	20.67
18	जम्मू एवं कश्मीर	108.24	40.38
19	दिल्ली	42.69	10.77
20	उत्तराखंड	68.28	17.12
21	हरियाणा	73.53	15.99
22	आंध्र प्रदेश	361.10	77.63
23	नगालैंड	16.40	2.11
24	कर्नाटक	597.53	12.34
कुल		**9934.23**	**6143.02**

अनुबंध-II

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय

I. वाहनीय उत्सर्जन :

i. दिल्ली के एनसीटी में अप्रैल, 2018 से और देश के शेष हिस्से में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-IV के स्थान पर सीधे बीएस-VI ईंधन मानक लागू करना।

ii. सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो रेल के नेटवर्क को बढ़ाकर और अधिक शहरों को शामिल किया गया है।

iii. एक्सप्रेस-वे और राजमार्गों के विकास से भी ईंधन की खपत और प्रदूषण को कम किया जा रहा है।

iv. दिल्ली से गैर निर्दिष्ट यातायात को विपथित करने के लिए ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस़-वे में यातायात शुरू किया गया है।

v. दिल्ली और एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। (माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 29.10.2018 का आदेश)

vi. दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता के इंजन वाले डीज़ल वाहनों पर पर्यावरण सुरक्षा प्रभार (ईपीसी) लगाया गया है।

vii. सीएनजी, एलपीजी जैसे स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधनों और पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की शुरूआत करना।

viii. इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता में छूट दी गई है।

ix. सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और सड़कों में सुधार तथा और अधिक पुलों का निर्माण किया गया है।

x. दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से प्रवेश शुल्क और पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार का संग्रहण करने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा आरएफआईडी (रेडियों-फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी) प्रणाली कार्यान्वित की गई।

xi. अप्रैल, 2020 से देश भर में बीएस-VI मानकों का अनुपालन करने वाले वाहनों की शुरूआत करना।

xii. कंम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र संस्थापित करने और ऑटोमोटिव ईंधनों में उपयोग के लिए सीबीजी को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए "किफायती परिवहन हेतु संधारणीय विकल्प (एसएटीएटी)" को एक नई पहल के रूप में शुरू किया गया है।

xiii. भारी उद्योग मंत्रालय फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलैक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम-II इंडिया) स्कीम के तहत ई-वाहनों पर रियायत देता है।

xiv. दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रति माह 100 किलोलीटर से अधिक गैसोलीन बेचने वाले नए और मौजूदा पेट्रोल पंपों तथा एक लाख से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों में प्रति माह 300 किलोलीटर से अधिक पेट्रोल बेचने वाले पंपों पर वाष्प रिकवरी सिस्टम (वीआरएस) की स्थापना करना।

II. औद्योगिक उत्सर्जन :

i. ताप विद्युत संयंत्रों के लिए SO_2 और NO_x उत्सर्जन मानकों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

ii. एनसीआर राज्यों में दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 से ईंधन के रूप में पेट कोक और फर्नेस ऑयल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना तथा अनुमति प्राप्त प्रक्रियाओं (सीमेंट संयंत्रों, चूना भट्टियों और कैल्शियम कार्बाइड विनिर्माण इकाईयों में प्रसंस्करणों) में प्रयोग को छोड़कर दिनांक 26 जुलाई, 2018 से देश में आयातित पेट-कोक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना।

iii. औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी ईंधन में परिवर्तित करना।

iv. अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑन-लाइन सतत उत्सर्जन निगरानी उपकरणों की संस्थापना करना।

v. प्रदूषण में कमी लाने के लिए ईंट-भट्टों को जिग-जैग प्रौद्योगिकी या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित करना या ईंट बनाने में ईंधन के रूप में पाइप्ड नैचुरल गैस का उपयोग करना।

vi. रेट्रो-फिट उत्सर्जन के उत्सर्जन अनुपालन परीक्षण के लिए प्रणाली और प्रक्रिया निर्धारित करना।

vii. सकल मशीनीकृत विद्युत 800 किलोवाट तक का उत्पादन करने के लिए डीजल विद्युत उत्पादन सेट ईंजन के लिए नियंत्रण उपकरण (आरईसीडी) विकसित किए गए।

viii. कोयला आधारित पुराने विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध रीति से बंद करने, मानकों का अनुपालन करने, शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क, शहरी क्षेत्रों में उन्नत विद्युत निर्भरता पर बल देने, आदि जैसे क्षेत्रों में अल्प कार्बन रणनीतियां विकसित करना।

ix. दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक उपकरणों में ईंधन के रूप में बायोमास/कृषि अवशेषों के प्रसंस्करण के लिए एक पारि-प्रणाली विकसित करना।

x. दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक उपकरणों में ईंधन के रूप में पीएनजी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समान और किफायती पीएनजी मूल्य निर्धारण नीति बनाना।

III. धूल और अपशिष्ट को जलाने के कारण वायु प्रदूषण

i. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, अपशिष्ट टायर, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट और बैटरी अपशिष्ट को शामिल करते हुए आठ अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना जारी करना।

ii. अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों जैसी अवसंरचना की स्थापना करना।

iii. प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्पादको पर उत्पादक विस्तारित दायित्व (ईपीआर) निर्धारित कर दिया गया है।

iv. बायो-मास/कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाना।

v. भलस्वा, ओखला और गाजीपुर में तीन कचरा निपटान स्थलों के जैव-खनन का कार्य किया जा रहा है।

vi. 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु कृषिगत मशीनीकरण को बढ़ावा देने' से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत, वैयक्तिक किसानों को 50 प्रतिशत रियायत पर और कस्टम हाईरिंग सेंटरों की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत रियायत के साथ स्व-स्थाने फसल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कृषिगत

मशीनों और उपकरणों को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ष 2022 में इस स्कीम का कृषिगत मशीनीकरण हेतु उप-मिशन (एसएमएएस) में विलय कर दिया गया है और एसएमएएम का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) में विलय कर दिया गया है।

vii. एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग (सीएक्यूएम) ने दिनांक 17.09.2021 को दिल्ली की 300 किमी. की परिधि में स्थापित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के साथ (5-10 प्रतिशत तक) बायोमास आधारित पैलेट, टोरेफाइड पैलेट/ब्रीकेट (धान की पराली पर ध्यान देते हुए) को साथ में जलाने का निर्देश दिया।

viii. धान के भूसे आधारित पेलेटाइजेशन और टॉरेफेक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, जिसके तहत केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिले में उत्पन्न धान के भूसे का उपयोग करके पेलेटाइजेशन और टॉरफेक्शन संयंत्र स्थापित करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों/उद्यमियों/कंपनियों को पूंजी निवेश पर एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।

ix. केवल दाह संस्कार के उद्देश्य से धान के भूसे आधारित ब्रिकेट के उपयोग हेतु भूसे आधारित ब्रिकेटिंग संयंत्रों की स्थापना के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के एनसीटी तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर जिलों के नगर निगमों को सहायता देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।

x. पराली जलाने की अवधि के दौरान आग की सक्रिय घटनाओं (एएफई) की दैनिक निगरानी की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर आयोग के साथ रिपोर्ट साझा की जाती है।

*****